न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अलवर

पीठासीन अधिकारी – श्री प्यारे लाल सौठवाल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	तारीख दायर	तारीख निर्णय
3 / 07 / 2022	03 / 02 / 2022	12 / 07 / 2022

बउनवान

1. अशरफ पुत्र करीम खां जाति मेव उम्र करीब निवासी ग्राम जटियाना तहसील व जिला अलवर

–प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार, तहसील अलवर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय

ार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम प्रस्तुत किया कि प्रार्थी । अन्य की खरीदशदा आराजी गत खसरा नं. 228 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा ग्राम धोलीदूब, तहसील अलवर में स्थित है। जो प्रार्थी व अन्य ने जरिये दिनांक 28–01–1975 के खरीद की थी। जिसका इंतकाल खातेदारी ग्राम पंचायत जटियाना द्वारा प्रार्थी व अन्य के हक में संख्या 69 पर दर्ज व तस्दीक किया जा चुका है। उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र में प्रार्थी के पिता का सही नाम करीम खां दर्ज है एवं जो इंतकाल तस्दीक किया गया है, उसमें भी प्रार्थी के पिता का सही नाम करीम खां दर्ज है। उक्त इंतकाल के आधार पर समय–समय पर जो जमाबंदी कायम की गई है उसमें जमाबंदी सम्वत 2030 लगायत 2033 में भी प्रार्थी के पिता का सही नाम करीम खां दर्ज किया गया है। तहसील अलवर का हाल बंदोबस्त सम्वत 2051 में फाईनल किया गया था, जिसमें बंदोबस्त अधिकारियों व कर्मचारियों की गलती के कारण प्रार्थी के पिता का नाम करीम खां के स्थान पर रहीम खां दर्ज कर दिया गया, जो गलत है। बंदोबस्त सम्वत 2051 में आराजी गत खसरा नं. 228 का हाल खसरा नं. 366 रकबा 0.36 व 369 रकबा 0.12 हेक्टर दर्ज करते हुए प्रार्थी के पिता का नाम करीम खा के स्थान पर रहीम खां दर्ज कर दिया गया जो गलत हैं। उक्त गलती बंदोबस्त के दौरान बंदोबस्त अधिकारियों व कर्मचारियों की गलती के कारण हुई है जिसे धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत दुरुस्त फरमाया जाना कानूनन व न्याय हित में आवश्यक है। उक्त गलती के कारण बंदोबस्त सम्वत 2051 के बाद जो जमाबंदी कायम की गई है। उनमें भी बंदोबस्त हाल के रिकोर्ड के आधार पर प्रार्थी के पिता का नाम रहीम खां दर्ज किया गया है जो गलत है और जो दुरुस्त फरमाया जाना न्याय हित में आवश्यक है। इस संबंध में प्रार्थी ने तहसीलदार अलवर को निवेदन करते हुए उक्त गलती को दुरूस्त किये जाने के लिए निवेदन किया, किन्तु उन्होंने यह जाहिर किया कि प्रार्थी को धारा 136 के तहत श्रीमान के समक्ष आवेदन करना होगा। जिस कारण यह प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर गत खसरा नं. 228 हाल खसरा नं.

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

0 रकबा 0.36 व 369 रकबा 0.12 हेक्टर वाके ग्राम धोलीदूब की बाबत बंदोबस्त हाल व सके बाद की कायमशुदा जमाबंदी आदि में जो प्रार्थी के पिता का नाम रहीम खां दर्ज किया या है, उस दुरूस्त करते हुए प्रार्थी के पिता का सही नाम करीम खां दर्ज किये जाने का ादेश पारित किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार अलवर की रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अलवर ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया कि मुताविक संलग्न नामा0 69 दिनांक 15.06.1975 किस्म बैय वाके ग्राम धोलीदूब तहसील व जिला अलवर ०न० 228 रकवा 1111)3 चाहत अशरफ मुशरफ अब्दुल हि छुटन कौम मेव सा देह सभा खातेदार हि 3\4 बहक सुवान पुत्र रहीमखां इब्राहिम पुत्र रहमत महमूद पुत्र इस्माईल अशरफ पुत्र करीमखां कौम मेव सा. जटियाना समानभाग हि 3/4 खातेदार के नाम दर्ज होकर फैसल हुआ। मुताविक संलग्न जमाबंदी संवत 2030 से 2033 ग्राम धोलीदूब खाता 55 ख०न० 228 रकवा 1111)3सुवान पुत्र हीमखॉं इब्राहिम पुत्र रहमत महमूद पुत्र इस्माईल अशरफ पुत्र करीमखॉं सभा हि 3/4 मुश्तरी ा.देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। मुताविक मिलान क्षेत्रफल संवत 2051 साविक ख०न० 228 बा 1111)3 हाल ख०न० 366/0.36 एवं 369/0.12 कुल किता 02 रकचा 0.48 है बने है , संलग्न मिसल संवत 2051 अनुसार असरफ पुत्र रहीमखॉं जाति मेव खातेदार दर्ज रिकार्ड मुताबिक हाल जमाबंदी ग्राम धोलीदूब आ०ख०न० 365, 369 किता 02 रकवा 0.48 है0 रफ पुत्र रहीमखॉं हि 3/16 जाति मेव दर्ज रिकार्ड है। अतः मुताविक संलग्न नामा० संख्या व जमाबंदी संवत 2030–33 वाके ग्राम धोलीदूब तहसील अलवर हाल राजस्व रिकार्ड में ख०न० 366 व 369 में प्रार्थी के पिता का नाम रहीमखां के स्थान पर करीमखॉं किया ा प्रस्तावित है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तहसीलदार अलवर की अभिशंषा के आधार स्वीकार किया जाता है। हाल जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 ग्राम धोलीदूब तहसील अलवर खाता संख्या 54 खसरा 366 रकबा 0.36 है0, 369 रकबा 0.12 है0 पर अशरफ पुत्र रहीम के स्थान पर अशरफ पुत्र करीम खां दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। शेष जात यथावत रहेंगे। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार अलवर को विधि द्वारा सुस्थापित ान्तों के अनुसार पालनार्थ भेजी जावे।

(प्यारे लाल सोठवाल)
उपखण्ड अधिकारी
अलवर

ंय आज दिनांक 12.07.2022 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरे इजलास सुनाया।

(प्यारे लाल सोठवाल)
उपखण्ड अधिकारी
अलवर